



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240116  
CG-DL-E-09112022-240116

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4982]  
No. 4982]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944  
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5201(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-34 (108) के कि.मी 29.300 से 42.900 गंगोत्री-धरासू मार्ग, उत्तराखंड राज्य तक के पेव्ड शोल्डर साथ के भूखण्ड का निर्माण (दो लेन निर्माण, चौड़ीकरण, सुरंग निर्माण आदि) में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-34 (108) गंगोत्री-धरासू मार्ग के कि.मी 29.300 से 42.900 पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर जिलाधिकारी।	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 के	उत्तराखंड	उत्तर कशी	भटवारी	1 झाला
						2 जसपुर

		कि.मी. 29.3 से 42.9 तक				3	सुक्की
--	--	------------------------------	--	--	--	---	--------

[फा. सं. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-Barethi/LA/01]

राजेश गुप्ता, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th November, 2022

**S.O. 5201(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land km 29.300 to km 42.900. specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (two laning, widening and Tunnel construction etc.) maintenance, management and operation Gangotri to Dharasu Road in the State of Uttarakhand.

**SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No-34(108) Gangotri-Dharasu Road in in the State of uttarakhand on the stretch from 29.300 to km 42.900.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village						
1	2	3	4	5	6	7						
1	Additional District Magistrate.  ( )	29.3KM To 42.9KM	UTTARAKHAND	UTTARKASHI	Bhatwari	<table><tr><td>1</td><td>Jhala</td></tr><tr><td>2</td><td>Jaspur</td></tr><tr><td>3</td><td>Sukhi</td></tr></table>	1	Jhala	2	Jaspur	3	Sukhi
1	Jhala											
2	Jaspur											
3	Sukhi											

[F. No. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-Barethi/LA/01]

RAJESH GUPTA, Director